इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / स्था–3 / 118 / 2016 / 4226 रायपुर, दिनॉक: 25/10/2016

आदेश

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक पत्र क./एफ–20–4/ 2015/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 25.08.2015 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क. /1979/1989/2015/14–1 रायपुर दिनांक 11.09.2015 के द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपेक्ष्य में इंदिरा गॉधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के विज्ञापन क./स्था.–3/118/ 2015/3925 दिनांक 31.10.2015 द्वारा निःशक्तजनों के चिन्हांकित बैकलाग पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत सीधी भर्ती के तहत विश्वविद्यालय परिनियम 1987 की धारा 5 (ड.) के अनुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा एवं माननीय कुलपतिजी के अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को **सहायक ग्रेड–3, वेतन बैंड– रू. 5200–20200 + ग्रेड पे 1900/–** के पद पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन नियुक्त करते हुए **कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर** उनके नाम के सम्मुख दर्शित पदस्थापना स्थल पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	श्रेणी	पदस्थापना स्थल
01	02	03	04
01	श्री महेश्वर पटेल पिता श्री तेज राम पटेल, पता – मु.पो. कोटमी सोनार, तहसील–अकलतरा, जिला–जाजगीर–चॉपा, 495552 (छत्तीसगढ़)	अनारक्षित (अ.पि.व.)	कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रायगढ़
02	श्री सुमित कुमार सरकार पिता श्री काजल सरकार पता–शिक्षक कालोनी, कारली (चैतूपारा) ग्राम+पोस्ट कारली, वि.ख. गीदम, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 494441 (छत्तीसगढ़)	अनारक्षित	उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जगदलपुर
03	श्री महेश कुमार जुर्री पिता श्री बुध्दुराम जुर्री पता–ग्राम व पोस्ट–मुरड़ोंगरी, तह.–कांकेर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर 494334 (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति	कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कांकेर

नियुक्ति की शर्ते :–

01. अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कर्त्तव्य पर मय प्रमाण–पत्रों (शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण–पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण–पत्र) के साथ उपस्थित होना होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
02. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण–पत्र भविष्य में यदि असत्य पाये जाते हैं तो नियुक्ति आदेश बिना कारण बतायें निरस्त कर दिया जावेगा ।
03. अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के अधीन संचालित किसी भी केन्द्र/इकाई में आवश्यकता होने पर स्थानांतरित किया जा सकता है ।

निरंतर....(02).....

04. उभयपक्षों द्वारा किसी भी समय एक माह की सूचना देकर सेवा समाप्त की जा सकती है । सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन–भत्ता भुगतान/जमा करना होगा ।

05. अभ्यर्थी को कर्त्तव्य पर उपस्थिति के समय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला सिविल सर्जन से शारीरिक क्षमता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक क्षमता प्रमाण–पत्र में शारीरिक रूप से अयोग्य पाये जाने पर संबंधित की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी ।

06. पदस्थापना स्थल के नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा संबंधित का पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चरित्र सत्यापन कराया जावेगा एवं चरित्र सत्यापन की सत्यापित छायाप्रति 6 माह के भीतर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जावेगी । चरित्र सत्यापन में पुलिस प्रशासन द्वारा संबंधित के विरूध्द कोई प्रतिकूल टीप पाये जाने पर नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेंगा ।

07. नियुक्त अभ्यर्थियों पर नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होंगी ।

08. अभ्यर्थी को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेनी होगी ।

09. अभ्यर्थी को कर्त्तव्य पर उपस्थित होने के लिये किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा ।

10. अभ्यर्थी को कर्त्तव्य पर उपस्थित होने की तिथि से एक माह के भीतर निश्चित चिकित्सा भत्ता/प्रतिपूर्ति चिकित्सा भत्ता हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा ।

11. संबंधित के कार्य पर उपस्थिति होने के समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं उपरोक्त अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति संबंधित कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। संबंधित अधिकारी मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात ही उपस्थिति मान्य करेंगे ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त आदेश पारित करने में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडें वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 के प्रावधानों का पालन किया गया है ।

कुलपतिजी के आदेशानुसार

25/10/16

कुलसचिव

पृष्ठां. क्रमांक/स्था–3/118/2016/4227 रायपुर, दिनॉक: 25/10/2016

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । नियंत्रणकर्ता अधिकारी कृपया नियुक्त अभ्यर्थियों का उपस्थिति प्रतिवेदन, शारीरिक क्षमता प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :–

1. लेखानियंत्रक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ।
2. संचालक अनुसंधान/विस्तार सेवायें/शिक्षण, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ।
3. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रायगढ़ ।
4. अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जगदलपुर ।
5. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कांकेर ।
6. कुलपतिजी के निज सहायक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ।
7. संबंधित :– ....
8. व्यक्तिगत/मास्टर नस्ती ।

25/10/16

कुलसचिव